न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 196/2024(GCMS : 2024/279)

1. **हरपला सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एसडीएम–बी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बनाम

1. **श्री संदीप काकड़, पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़), सूरतगढ़**
2. **अमृती देवी** पुत्री मंशो देवी निवासी 7 सिघपुर थाड़ तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
3. **राजस्थान सरकार** जरिये तहसीलदार, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.08.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 92(ए) आरटीए एक्ट विचाराधीन प्रकरण संख्या 319/2023 अनवानी हरपाल सिंह बनाम अमृता देवी व अन्य में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 319/2023 अनवानी हरपाल सिंह बनाम अमृता देवी व अन्य अन्तर्गत धारा 92(ए) आरटीए एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर